कार्यालय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी।

आदेश सं0 200/2022 नवम्बर 01 ,2022

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने परिपत्र सं0 14/एडमिन 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 जारी करते हुए निर्देश दिया है कि यदि किसी जनपद न्यायालय में कर्मचारियों की कमी है और असुविधा हो रही है तो जनपद न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पूर्व में अवगत कराते हुए जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से Substantive पदों के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं, जो कि निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

02. पुनर्नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए होगी अथवा जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी न कर लें।

03. उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसको पुनर्नियुक्ति प्रदान की जायेगी, को "अंतिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाई जायेगी के सिद्धान्त के आधार पर वेतन की धनराशि दी जायेगी।

04. सम्बन्धित कर्मचारी का पूर्व रिकार्ड और उसकी वार्षिक चरित्र पंजिका को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यदि कोई जनपद न्यायालय का सेवानिवृत्त कर्मचारी तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर उपरोक्त निर्देश के अनुसार पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है तो वह 10 दिन के भीतर जनपद न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इस आदेश की प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये तथा एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को, **Official website** पर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाये।

01.11.22

जनपद न्यायाधीश
वाराणसी।